Before The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Original App. No. 409/2022

Dinesh Kumar versus State of Haryana

विषय : Compliance Report Dated 16.12.2024 of the Joint committe के संदर्भ में।

श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि उपरोक्त रिपोर्ट के संदर्भ में मैं आपके सामने निम्नलिखित तथ्य रखना चाहता हूँ:

1) श्रीमान जी मैंने बाढ़डा वन राजिक अधिकारी (RFO) के सम्मुख उनके कार्यालय पर हाजिर होकर 06/07/2023 को एक ब्यान दिया था, जो उपरोक्त रिपोर्ट में Annexure R-7 (Statement of Dinesh), Page no. 13-14 पर संलग्न है, श्रीमान जी इस ब्यान के साथ मैंने बाढ़डा थाना समझौता प्रति तथा मूल शिकायत पत्र की प्रति संलग्न की थी तथा ब्यान के अंत में संलग्न में लिखा भी था, इन प्रतियों के बारे में लेकिन आपको भेजी गई रिपोर्ट में उन प्रतियों को हटा दिया गया तथा आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

2) श्रीमान जी RFO बाढ़डा के पत्र क्रमांक 559 दिनांक 06-12-2024 के अनुसार 09-12-2024 को जो मौका निरीक्षण तहसीलदार बाढ़ड़ा तथा RFO बाढ़डा द्वारा किया गया, उसकी जानकारी मुझे 09-12-2024 को दोपहर 01:53 PM पर

वन विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा 8059254387 Mob.No. से फोन करके दी गई जानकी RFO बाड़ड़ा के पत्र अनुसार मौका निरीक्षण का समय 09-12-2024 को दोपहर 01:00 बजे का था। वहीं पर वन विभाग द्वारा अन्य व्यक्तियों (जिनके खिलाफ शिकायत है) को सूचना 05-12-2024 तथा 06-12-2024 को फोन कॉल व Whatsapp के माध्यम से दी जा चुकी थी।

वन विभाग द्वारा सूचना मुझे Speed Post के माध्यम से भी प्रेषित की गई थी, जिसका Speed Post No. EH020869158IN है जो मुझे 10-12-2024 को सुबह 08:45 पर प्राप्त हुई है तथा मैंने Recieving के समय हस्ताक्षर के साथ दिनांक तथा समय भी Postman के पास जो sheet थी उस पर अंकित किया है।

3. श्रीमान जी मौका निरीक्षण के दिन जब मैंने पाया कि अन्य व्यक्तियों को 3-4 दिन पहले सूचना दी गई है तथा मुझे अधिकारियों के पहुँचने के समय सूचना दी गई है तो मैंने RFO साहब से निवेदन किया कि क्या मैं अपना लिखित ब्यान बाद में दे सकता हूँ तो उन्होंने बोला कि अभी आप छोटा सा लिख दो तथा कल कार्यालय में पूरे विवरण सहित ब्यान दे देना, तो जनाब मैंने 10/12/2024 को

RFO साहब बाढ़डा को अपना लिखित ब्यान दे दिया था वो ब्यान भी आपको भेजी गई रिपोर्ट में संलग्न नहीं किया गया।

4. श्रीमान जी आपको भेजी गई रिपोर्ट के Annexure R-8 के पेज न. 16 पर 09 व्यक्तियों का विवरण दिया गया है जो मौका निरीक्षण पर मौजूद थे, लेकिन जनाब

न. 3 - श्रीमती सरिता W/o श्री विकास गाँव सिरसली तथा

न. 5 - श्री राजकुमार S/o श्री फूलचन्द गाँव सिरसली

मौका निरीक्षण पर मौजूद नहीं थे फिर भी इनका विवरण दिया गया है तथा सरिता W/o विकास का तो दिनांक 09/12/2024 का ब्यान भी (Page No. 22) पर लगाया गया है, जनाब मौका निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्तियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक साथ फोटो भी लिया गया था जो रिपोर्ट के साथ नहीं भेजा गया है।

5. श्रीमान जी शिकायत में शामिल व्यक्तियों व सरिता W/o विकास के द्वारा बाढ़डा थाना में दिए गए ब्यानों की प्रति भी मैं संलग्न कर रहा हूँ ताकी ताकि हस्ताक्षरों का वेरिफिकेशन हो सके, क्योंकी बाढ़डा थाने में जो समझौता हुआ था उस पर सभी व्यक्तियों ने हस्ताक्षर हमारे सामने किए थे।

6. श्रीमान जी रिपोर्ट में पेज न. 4 पर संलग्न FOR No. 085 तथा पेज न. 06 पर संलग्न जुर्माना रसीद न. 341 भी संदेह के दायरे में आती हैं क्योंकि 04-04-2022 या 05-04-22 को तत्कालिन RFO बाढ़डा श्री जय प्रकाश जी को किसी अन्य मामले में निलंबित कर दिया गया था तथा ऐसा प्रतीत होता है कि निलंबन के कारण उपरोक्त FOR तथा जुर्माना रसीद में पिछे की Date दर्ज की गई है।

अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार किया जाए तथा आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

धन्यवाद

Applicant: Dinesh Kumar s/o Sh Hind Prakash
Vill-Sirsali, P.O.- Kari Aadu
Teh-Badhra, Distt-Charkhi Dadri
Haryana. PIN-127308
mob.- 9354444242

05/02/25

संलग्न:

1) Applicant बयान Dated 10/12/24
2) बाढ़डा थाना समासाँता प्रति
3) बाढ़डा थाना सभी दोषियों के बयान की प्रति

बयान (Applicant) 10/12/2024

श्रीमान जी मेरा नाम दिनेश कुमार S/o श्री हिन्द प्रकाश है तथा मैं गांव- सिरसली, त.- बाढ़डा, जिला- च. दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने नरेश कुमार, भूप, आशीष S/o श्री आनन्द प्रकाश, विकास S/o श्री फुलचन्द तथा सुरेन्द्र कुमार, राजकुमार S/o श्री रूपचन्द के खिलाफ सांझे की जमीन से पेड़ काटकर बेचने की शिकायत दी थी, जिसके संदर्भ में 09/12/2024 को श्रीमान तहसीलदार बाढ़डा व सब वन राजिक अधिकारी बाढ़डा हमारे गांव में मौका निरिक्षण करने हेतु आए थे, जिसकी जानकारी कम समय रहते मिलने के कारण मैं अपना बयान आज 10/12/2024 को लिख रहा हूँ।

श्रीमान जी उपरोक्त दोषियों ने जो पेड़ काटकर बेचे वो हमारी सांझे की जमीन है, मेरे पड़ दादा श्री टेकचन्द की कुल 160 कनाल जमीन है, जो अलग - अलग तीन स्थानों पर है तथा पिछले 40 वर्ष से हम फैमिली सेटलमैन्ट से अलग -2 जमीन पर काबिज कर रहे हैं, जिस जमीन से पेड़ काटकर बेचे गए वो लगभग 60 कनाल जमीन है तथा हमारे पूर्वजों के बंटवारे अनुसार वो

जमीन विकास S/o श्री फूलचन्द तथा राजकुमार, सरेन्द्र कुमार
S/o श्री रमेशचन्द के हिस्से में आई हुई है तथा
पिछले 40 वर्ष से ये लोग वहाँ खेती कर रहे हैं।
श्रीमान जी हम जहाँ खेती करते हैं वो जमीन 27
कनाल 17 मरला है तथा पूर्वजों के बंटवारे अनुसार
हम वहाँ 40 वर्ष से खेती कर रहे हैं तथा उस
जमीन में हमारी गिरधावरी भी है, जनाब हम
जहाँ खेती करते हैं वहाँ इन लोगों ने बंटवारे
का केस डाल दिया तथा दूसरी तरफ खुद जहाँ
खेती कर रहे हैं वहाँ से पेड़ काटकर बेचने
शुरू कर दिए, 70 कनाल जमीन जहाँ पर
नरेश, भूप, आशीष S/o श्री आनन्द प्रकाश तथा
भगवान सिंह S/o श्री टेकचन्द की लड़कियां खेती करती
हैं वहाँ से ये लोग सारे पेड़ काटकर बेच
चुके हैं ~~तथा~~ जिसका हमें समय पर पता नहीं चला
तथा इस 60 कनाल वाले रकबे से जब बेच रहे
थे तो मौके पर विडियो व फोटो बनाए तथा
शिकायत दर्ज करवायी। श्रीमान जी नाहड़ा थाने में
दर्ज ब्यानों में इन्होंने लिखवाया की दिनेश कुमार
केस उठवाने का दबाव बनाने के लिए हमारी
शिकायत कर रहा है इसलिए दिनेश पर ही कार्यवाही

की जाए। श्रीमान जी हम तो 40वर्ष पूर्व हुए बटवारे
6. अनुसार मिली जमीन पर ही खेती करना चाहते हैं
तथा पूर्वजों के बटवारे अनुसार 60 कनाल जमीन से
हमारा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन श्रीमान जी
रेवन्यू रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज होने की वजह से
अगर ये लोग हमारी जमीन पर केस दर्ज कर
सकते हैं तो श्रीमान जी रेवन्यू रिकोर्ड के मुताबिक
60 कनाल जमीन में हमारा भी हिस्सा दर्ज है,
जिसके आधार पर मैंने शिकायत दर्ज करवायी है।
श्रीमान जी इन लोगों ने खुद जमीनी विवाद की
शुरुआत की तथा फिर पेड़ काटकर बेच रहे हैं
जिससे साफ दिखाई पड़ता है कि ये लोग धोखाधड़ी
तथा जालसाजी कर रहे हैं; बाद्‌डा थाने में दर्ज
ब्यानों में इन्होंने लिखा की भूप, आशीष तथा नरेश
का पेड़ बेचने से कोई संबंध नहीं है, ऐसा
इन्होंने विकास तथा विकास की धर्मपत्नी श्रीमती
सरिता के कहने पर किया है, श्रीमान जी अपराध
कोई खुद कर या किसी के कहने पर करे, अपराध
तो अपराध ही रहता है, अगर रेवन्यू रिकोर्ड के
अनुसार इनका हिस्सा हमारी जमीन में है

और ये केस कर सकते हैं तो उक्त जमीन में भी हमारा हिस्सा है तथा इन लोगो ने बीना हमारी अनुमति के पेड़ काटकर बेचने का अपराध किया है या ये कहें की हमारी संपति की चोरी की है तथा आपस में मिलकर जालसाजी तथा धोखाधड़ी का षडयन्त्र रचा है, जब नरेश, भूप, आशीष, सरेन्द्र व राजकुमार केस करने में शामिल हैं तो ये पेड़ काटकर बेचने में निर्दोष कैसे हो सकते हैं?

श्रीमान जी ~~[illegible]~~ मेरे द्वारा दी गई शिकायत पर बादड़ा पुलिस थाने में इन लोगो ने समझौता भी किया कि हम पुर्वजों के बंटवारे अनुसार रहेंगे तथा केस उठा लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मुकर गए।

श्रीमान जी हम तो पुर्वजों के बंटवारे अनुसार मिली जमीन पर ही काश्त करना चाहते हैं तथा कोई विवाद नही चाहते, लेकिन अगर ये लोग केस कायम रखना चाहते हैं तो रेवेन्यु रिकोर्ड के अनुसार इन लोगो ने हमारी संपति की चोरी की है तथा धोखाधड़ी तथा जालसाजी के द्वारा

(5)

हमको व सरकार (कोर्ट) को गुमराह किया है।
इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगार ये लोग
बटवारे का केस कायम रखना चाहते हैं तो इन
पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, हमारी
संपत्ति की चोरी करने तथा धोखाधड़ी का
केस दर्ज किया जाए क्योंकि इन लोगों ने
60 + 70 कुल 130 कनाल जमीन को सिर्फ लालच
की वजह से पेड़ो से रहित कर दिया है तथा
अपने ब्यानों के माध्यम से विभाग को गुमराह
कर रहे हैं।
श्रीमान जी विकास ने पेड़ काटने का जो जुर्माना अदा
किया है वो मात्र 3000/- ₹ है तथा अपनी पत्नी के
नाम से अदा किया है जो विकास के साथ ही
हिसार, हरियाणा में रहती है तथा ब्यान दर्ज करवाया
है कि वो गांव में रहकर खेती-बाड़ी देखती है।
तथा साथ ही यह भी झूठ लिखा कि पेड़ खराब
हो चुके थे जबकि विडियो व फोटो में साफ
दिखाई दे रहा कि पेड़ बहुत मजबूत तथा
150-200 साल पुराने थे। श्रीमान जी इन लोगों

ने अपनी पहुँच का फायदा उठाया तथा ना के बराबर जुर्माना जमा करके अच्छे खासे सामों में पेड़ों को बेच दिया तथा विभाग को म कहे हुए पेड़ जब्त भी नहीं करने दीए तथा न ही किसी प्रकार का ट्रैक्टर, मश मशीन और अन्य औजार जब्त होने दीए, बल्कि ये लोग खुद चोरी तथा धोखाधड़ी करके मुझे उल्टा फसाना चाहते हैं तथा मेरे ऊपर अलग-2 तरीके से दबाव बना रहे हैं, श्रीमान जी ये लोग तो खुद तहसीलदार साहब व वन राजिक अधिकारी के सामने भी धमकी दे रहे हैं इसलिए मेरी आपसे ये भी प्रार्थना है कि मुझे व मेरे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए जाएँ।

श्रीमान जी विकास तथा सुरेन्द्र सरकारी कर्मचारी हैं तथा पेशे से अध्यापक (प्रवक्ता) हैं, अगर समाज में शिक्षा देने वाले लोग जिनकी जिम्मेवारी व समझ ज्यादा है, ऐसे कार्य कर रहे हैं तो ये अपराध व जालसाजी और भी गंभीर हो जाती हैं।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसी जालसाजी व धोखाधड़ी करने के कारण उनके विभाग को भी आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित व निर्देशित किया जाए।

श्रीमान जी मैंने 06/07/2023 को भी वन राजिक अधिकारी बाढ़डा को ब्यान दीए थे जिसकी कॉपी साथ लगा रहा हूं तथा दोषियों द्वारा जो ब्यान बाढ़डा थाने में दीए गए थे वो भी मैंने RTI के माध्यम से प्राप्त किए, आप द्वारा मांगे जाने पर वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

धन्यवाद

दिनेश कुमार S/O श्री हिन्द प्रकाश
गांव - सिरसली, त० - बाढ़डा
जि० - च० दादरी, हरियाणा / 127308

10/12/24

संलग्न ① Photocopy of Voter Idcard
② and Photocopy of ब्यान Dated 06/07/23

सेवा मे

S.H.O महोदय
थाना बाढड़ा

श्रीमान जी,

आपसे निवेदन है कि मैं दिनेश कुमार s/o श्री हिन्द प्रकाश, निवासी [illegible] का रहने वाला हूं मैने दिनांक 01-04-2022 को नरेश कुमार, भूप सिंह तथा आशीष पुत्र श्री आनन्द प्रकाश व विकास s/o श्री [illegible] व सुरेन्द्र व राजकुमार s/o श्री दयानन्द के खिलाफ आपके थाने मे शिकायत दर्ज करवाई थी। हमारे बीच यह सहमति बनी है कि हम इस विवाद को पारिवारिक तौर पर आपस मे बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। अत: मै आगे इस आधार पर शिकायत पत्र वापिस लेता हूं। और हम इस मामले पर आपस मे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमारा जो बंटवारे का कोई केस चल रहा है उसको आपसी सहमति से सुलझा लेंगे व आगे कोई विवाद नहीं करेंगे। धन्यवाद

[signature] 9813517714
Anand Parkash 9813338170
[signature] 9050027971
Naresh 9813487625
Surender Kumar 9991287006
9813146641 Bhoop Singh
[signature] 7388099420
[illegible] 9050102181

SPIO-CUM DSP HQ. CHARKHI DADRI ★ Distt. Charkhi Dadri ★
Under RTI Act 2005
Dt 22.2.24

सेवा में,

S.H.O. महोदय
थाना बाढड़ा

श्रीमान जी,

हम कि आनन्द S/o श्री रामचन्द्र, नरेश कुमार, भूप सिंह व आशीष S/o आनन्द प्रकाश, विकास S/o श्री फूलचन्द, सुरेन्द्र व राजकुमार S/o श्री दयाचन्द सभी गाँव सिरसली के रहने वाले हैं आज दिनांक 08-04-2022 को हमारी तरफ से राकेश S/o श्री मामचन्द व दिनेश कुमार S/o श्री हिन्द प्रकाश के खिलाफ जो शिकायत दी थी, हमारे बीच यह सहमति बनी हैं कि हम इस पारिवारिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लेंगे व कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नही करेंगे।

धन्यवाद।

[signature] 9354444242
[signature] 9416664910

SPIO-CUM DSP HQ. CHARKHI DADRI ★ Distt. Charkhi Dadri ★
Under RTI Act 2005
Dt. 22.2.24

ब्यान किया कि मैं नरेश कुमार पुत्र श्री आनन्द प्रकाश निवासी- मिरसली थाना बाढड़ा जिला च० दादरी उम्र 32 साल मोबाईल न० - 9813497625

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ। शादी-शुदा व बाल बच्चेदार हूँ तथा खेती बाड़ी का काम करके अपना तथा अपने परीवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ। मेरा चाचा विकाश S/o फूलचन्द जो कि अध्यापक है और हिसार के पास पोस्टिंग है और वहीं रहता है उनकी खेती-बाड़ी का काम उनके खेत के पड़ोसी करते हैं। उनका खेत गाँव के पूर्व दिशा में है। वहाँ लगभग 60 कनाल का खेत है जिनसे से 30 कनाल उनके हिस्से हैं। इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है बाकी हमारा परिवार इसमें हिस्सेदार है। मेरी चाची सरीता W/o विकाश को 10-15 दिन पहले फोन आया कि अपने खेत में 5-6 जाटियाँ कन्डम हो चुकी है जो खेत जोतने में भी अड़चन पैदा कर रही है और फसल को भी नुकसान पहुँचा रही है। मजदुरों से बात करके उनको निकलवा दे और उनकी जगह नये पेड़ लगा देवें। मैंने मेरी चाची सरीता के कहने पर मजदुरों से बात की और उन जाटियों को कटवाने का काम उन्हें सौंप दिया। मेरा चाचा रकेश S/o मामचन्द व उसका भतीजा दिनेश S/o महेन्द्र प्रकाश उन मजदुरों के पास और उनको डरा-धमकाकर वहाँ से भगा दिया उनसे पूछा कि तुम किसके कहने पर जाटी के पेड़ काट रहे हो तो मजदूर मुझे भी जानते थे तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया जिसकी मेरे चाचा रकेश ने विडियो बना ली। जो हमारी दादालाही जमीन गाँव में हमारे चाचों के पास है उस पर मैंने कोर्ट में दावा कर रखा है। उस केस को उठाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे है जब हमने नहीं माना तो बिना बात के ही हमारे खिलाफ झूठी सूचना पुलिस में दे दी। इसलिए जनाब से अनुरोध है कि तहकीकात के उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

SPIO-CUM DSP CHARKHI DADRI
Under ... Act 2005
Distt. Charkhi Dadri
22.2.24

Naresh

बयान किया है कि मैं भूपसिंह पुत्र श्री आनन्द प्रकाश निवासी सिरसली थाना बाढड़ा जिला च० दादरी उम्र 31 साल मोबाईल नं० 9813146641
ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पत्ते का रहने वाला हूं। शादी-शुदा व बालबच्चे दार हूं तथा खेती बाड़ी का काम करता हूं। मेरी चाची सरिता W/o विकाश ने जाटी कटवाने का कार्य मेरे बड़े भाई को नरेश S/o आनन्द प्रकाश को फोन करके बतलाया था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और न ही मैं मौके पर मौजूद था। हमने दादालाही जमीन पर कोर्ट में दावा कर रखा है। उस दावे को उठवाने के लिए मेरा झूठा नाम पुलिस को दिया है।

इसलिए जनाब से अनुरोध है कि मौका की तहकीकात करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

Bhoopsingh

SPIO-CUM DSP HQ. CHARKHI DADRI
22.2.24
Charkhi Dadri

1

बयान किया कि मैं आशीष पुत्र श्री आनन्द प्रकाश निवासी सिरसली थाना - बाढडा जिला च. दादरी उम्र - 23 साल मोबाईल न० - 9050027971

बयान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ। मैं मेरे माता - पिता के साथ मधुबन पुलिस अकेडमी में रहता हूँ। मैं 15-20 दिन से अपनी खेती के कार्य से गाँव में आया हुं। मेरी चाची सरिता w/. विकास के कहने पर मेरे बडे भाई नरेश S/. आनन्द प्रकाश उनके खेत में जाटी कटवाने का कार्य मजदूरों को सौंपा था। हमने दादा लाही जमीन पर कोर्ट में दावा कर रखा है उस दावे को उठाने के लिए मेरा झूठा नाम पुलिस को सौंपा दिया। जनाब से अनुरोध है कि मौके की तहकीकात करके उचित कार्यवाही करे।

Ashish

SPIO-CUM DSP HQ. CHARKHI DADRI
22.2.24
Charkhi Dadri

सेवा में

R.F.O महोदय
बाढड़ा।

श्रीमान जी,

मैं सरिता w/o श्री विकास s/o फूलचन्द, गाँव सिरसली, तह - बाढड़ा की रहने वाली हूँ। गाँव के पूर्व दिशा में लगभग 60 कनाल का हमारा खेत है जिसमें मेरे पति लगभग 30 कनाल के हिस्सेदार हैं। पिछले कई सालों से इस 30 कनाल के हिस्से पर हम ही खेती कर रहे हैं। मेरे पति नौकरी करते हैं, उनकी Posting हिसार के पास है इसलिए वे वहीं रहते हैं। यहाँ की खेती का काम मैं ही देखती हूँ। 30 कनाल के जिस हिस्से पर हम कई साले से काबिज है और खेती कर रहे हैं, उस हिस्से में 5-6 जांडी के पेड़ थे जो कंडम हो चुके थे जो खेत जोतते समय अड़चन पैदा करते थे व फसल को भी नुकसान पहुंचाते थे, मैंने उन पेड़ों को खेत से निकलवा दिया है। इस काम के लिए मैंने मेरे भतिजे नरेश पुत्र आनन्द प्रका. से मजदूर करने के लिए कहा था क्योंकि ये खेतीबाड़ी करता है और मजदूरों को जानता है। इसने सिर्फ मजदूर करके दिए थे, इसके अलावा ये और किसी काम में शामिल नहीं हैं। और न ही नरेश के अलावा कोई और व्यक्ति शामिल है। पेड़ मेरे खेत में थे, खेती करने में समस्या आती थी व कंडम भी हो चुके थे, इसलिए उनको निकलवा मैंने ही है और उनकी जगह नए पेड़ लगाने का निर्णय लिया है।

Sarita

सरिता w/o श्री विकास
गाँव - सिरसली
तह - बाढड़ा

SPIO-CUM DSP HQ, CHARKHI DADRI
Charkhi Dadri
22.2.24

55

सेवा में,

SHO साहब
Badhra

श्रीमान जी, मैं राजकुमार पुत्र श्री दयाचन्द निवासी सिरसली
त० - Badhra Dist - च० दादरी का निवासी हूं। मैं
सेना से रिटायर हूं। और फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
में नौकरी कर रहा हूं। और हिसार ही रहता हूं। मेरा नाम
पेड़ो की कटाई में लिखवाया गया है। जबकि पेड़ों की कटाई
के बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और
न ही मेरे खेत से कोई पेड़ की कटाई हुई है। दादा लाही
जमीन बरबोर को केस चला हुआ है जिसकी वजह से दबाव
बनाने के लिए झूठा नाम लिखवाया गया है। मेरा पेड़ो की
कटाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। कृपया सही जांच पड़ताल करके
दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाए।

दि:- 08 Apr 22

(signature)
प्रार्थी
(राजकुमार)

SPIO-CUM DSP HQ, CHARKHI DADRI ★ Distt. Charkhi Dadri ★
22.2.24

सेवा में,

SHD साहब
BADHRA

श्रीमान जी

मैं० सुरेन्द्र पुत्र श्री दयाचन्द निवासी सिरसली तह- बाढ़डा DIST- च० दादरी का निवासी हूं। मैं० ढ़िगावा सिनियर सैकेन्डरी स्कुल मे बतौर प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हुँ पेड़ों की कटाई में मेरा झुठा नाम दर्ज करवाया गया है मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे खेत से किसी पेड़ की कटाई हुई हैं जमीन बटवारे के केस की वजह से दबाव बनाने के लिए झुठा नाम दर्ज करवाया गया है अत: महोदय से निवेदन है कि सही जाचँ पड़ताल करके दोषियों के विरुध सख्त से सख्त कारवाई की जाए

धन्यवाद।

[signature]

प्रार्थी
(सुरेन्द्र कुमार)

dtd: - 08 Apr 22

SPIO-CUM DSP HQ. CHARKHI DADRI
Under RTI Act 2005
22.2.24
Charkhi Dadri